राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 131/2021

मोहरू पुत्र नाथा उम्र ...... वर्ष जाति माली निवासी ढाणी बागोरिया तन् गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. नौरंग पुत्र नाथा
2. मिसरू पुत्र नाथा
   जाति माली निवासी ढाणी बागोरिया तन् गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

::निर्णय :: **दिनांक 26–04–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15–03–2021 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 93 खसरा नंबर 361, 362 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है. भूमि में वादी का 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2022/868 दिनांक 11.04.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान की विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11–04–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11–04–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–5'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मय प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 व 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11–04–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–5'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 व 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11–04–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–5'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11–04–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–5'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। ख.नं. 362 के समीप स्थित खसरा नंबर 414 किस्म गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो एक सार्वजनिक रास्ता है। अतः विभाजन के दौरान प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 361/3 रकबा 0.0150 है. व ख.नं. 362/3 रकबा 0.01 है. की किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' राजकीय खाते में दर्ज की जावे तथा रहनें जो वर्तमान में है को विभाजन के दौराने खातेदारों को प्राप्त होने वाले रकबे पर स्थानान्तरित किया जावे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:08 IST
Reason: SelfAttested